

समाहरणालय, गोड्डा

(जिला भू-अर्जन भाखा)

E-Mail- goddadlao@gmail.com

प्रपत्र VI

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11 (1) के अधीन)

संख्या- 44/2018-19 (पथ) 201 / भूअ0 गोड्डा दिनांक :- 11/2/19

चूँकि उपायुक्त, गोड्डा को यह प्रतीत होता है कि मौजा- छोटा डुमरहील, सीट न0-01, थाना नं0- 10, अंचल- बोआरीजोर, जिला- गोड्डा में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना पथरगामा-बाँसजोरी-राजाभीडा पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य पथ निर्माण हेतु अपेक्षित है।

अतएव अधिसूचित किया जाता है कि मौजा- छोटा डुमरहील, सीट न0-01, थाना नं0- 10, अंचल- बोआरीजोर, जिला- गोड्डा में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.149 एकड़ यानि हेक्टेयर मानक माप का भू-खण्ड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है।


क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़)	हिस्से की भूमि का रकवा (एकड़)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
								उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	13	2	निजी	बाड़ी I	0.05	0.00834	बबलू हाँसदा, पिता-मंगल हाँसदा	पथ	3	6	सीमा
2						0.00833	मरांगमय मुर्मू, पति-फादर हाँसदा				
3						0.01667	सुधीर हाँसदा, पिता-मुंशी हाँसदा				
4						0.00278	बेटका हाँसदा, पिता-बाबूलाल हाँसदा				
5						0.00278	तलु हाँसदा, पिता-बाबूलाल हाँसदा				
6						0.00185	सनत हाँसदा, पिता-शिवलाल हाँसदा				
7						0.00185	सुरूजमुनी हेम्ब्रम, पति-ताला हाँसदा				
8						0.00185	पाण्डु हाँसदा, पिता-शिवलाल हाँसदा				
9						0.00556	होपोनमय हेम्ब्रम, पति-लखन हाँसदा				
10	6	निजी	बाड़ी I	0.045	0.01125	किसुन हाँसदा, पिता-प्रधान हाँसदा	पथ	5	7	2	
11					0.01125	ताला हाँसदा, पिता-प्रधान हाँसदा					
12					0.01125	सीताराम हाँसदा, पिता-प्रधान हाँसदा					

13					0.00563	बड़ा सागर हाँसदा, पिता- श्याम हाँसदा				
14					0.00563	वीरेन्द्र कुमार हाँसदा, पिता- श्याम हाँसदा				
15					0.001	अजय हाँसदा, पिता- बदन हाँसदा				
16					0.001	बड़ा किशुन हाँसदा, पिता- बदन हाँसदा				
17	7	निजी	बाड़ी I	0.008	0.002	दारोगा हाँसदा, पिता- प्रगन हाँसदा	पथ	सीमा	8	6
18					0.002	सोनलाल हाँसदा, पिता- लखीराम हाँसदा				
19					0.002	ताला हाँसदा, पिता- लखीराम हाँसदा				
20					0.00367	बबलू हाँसदा, पिता- मंगल हाँसदा				
21					0.00367	मरांगमय मुर्मु, पति- फादर हाँसदा				
22					0.00733	सुधीर हाँसदा, पिता- मुंशी हाँसदा				
23					0.00123	बेटका हाँसदा, पिता- बाबूलाल हाँसदा				
24	8	निजी	मकान में सहन	0.022	0.00122	तलु हाँसदा, पिता- बाबूलाल हाँसदा	पथ	7	9	7
25					0.00082	सनत हाँसदा, पिता- शिवलाल हाँसदा				
26					0.00081	सुरुजमुनी हेम्ब्रम, पति- ताला हाँसदा				
27					0.00081	पाण्डु हाँसदा, पिता- शिवलाल हाँसदा				
28					0.00244	होपोनमय हेम्ब्रम, पति- लखन हाँसदा				
29					0.003	अजय हाँसदा, पिता- बदन हाँसदा				
30					0.003	बड़ा किशुन हाँसदा, पिता- बदन हाँसदा				
31	9	निजी	मकान में सहन	0.024	0.006	दारोगा हाँसदा, पिता- प्रगन हाँसदा	पथ	10	सीमा	8
32					0.006	सोनलाल हाँसदा, पिता- लखीराम हाँसदा				
33					0.006	ताला हाँसदा, पिता- लखीराम हाँसदा				
				कुल:	0.149	0.149	एकड़			

यह अधिसूचना भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। उपायुक्त, गोड्डा उक्त अधिनियम की धारा- 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा/अंचल अधिकारी, बोआरीजोर और उनके कर्मचारी- कानूनगो/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन/संबंधित राजस्व कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा- 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा- 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा श्री अनिल कुमार तिकी, अपर समाहर्ता, गोड्डा/श्री पवन कुमार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।


उपायुक्त,
गोड्डा।


ज्ञापांक 201/भू030 दिनांक :- 11/2/19।

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, गोड्डा को जिला गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित। निदेश है कि इस अधिसूचना का प्रकाशन यथाशीघ्र दो हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों (स्थानीय संस्करण) में करने का कष्ट करेंगे। साथ ही प्रकाशित अधिसूचना का पेपर कटिंग जिला भू-अर्जन कार्यालय, गोड्डा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना-विज्ञान पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित। निदेश है कि इस अधिसूचना को गोड्डा जिले के वेवसाइट में यथाशीघ्र प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- IT Manager, DPMU (Revenu), गोड्डा को प्रेषित। निदेश है कि इस अधिसूचना को गोड्डा जिले के वेवसाइट में यथाशीघ्र प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करेंगे।


उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक 201 / भू0अ0 दिनांक :- 11/2/19 ।


प्रतिलिपि :- वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन प्रमंडल, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अधिसूचित दाग संख्या में अवस्थित वृक्षादि का मूल्यांकन कर मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्ता, गोड्डा/अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा/भूमि सुधार उपसमाहर्ता, महागामा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस अधिसूचना को यथाशीघ्र अपने कार्यालय में प्रदर्शित करने का कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अधिसूचित दाग संख्या में अवस्थित भौतिक संरचना का मूल्यांकन कर मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, बोआरीजोर को निदेश है कि उक्त अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात सहज दृश्य स्थलों पर चिपकाना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- अधियाची पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस अधिसूचना को यथाशीघ्र अपने कार्यालय में प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।


उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक 201 / भूअ0 दिनांक :- 11/2/19

प्रतिलिपि - प्रमंडलीय आयुक्त, संधाल परगना प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- निदेशक, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उपायुक्त,
गोड्डा।